Speed Post

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. DSC/3/2015/MINB1/SEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 20-12-2017

To,

1. The Secretary,
   Ministry of Information & Broadcasting,
   Shastri Bhawan,
   New Delhi-110001

2. The Secretary,
   Department of Personnel & Training,
   North Block, Central Secretariat,
   New Delhi-110001

3. The Director General,
   All India Radio,
   Akashvani Bhavan,
   Parliament Street,
   New Delhi 110001

Sub Representation dated 20.08.2015 of Shri D.S. Chauhan, Kingsway Camp, Delhi regarding harassment and discrimination on the ground of caste in AIR.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 13.12.2017 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri D.S. Chauhan,
   Dy. Director (Prog) National Channel AIR,
   Todapur, Delhi-110012

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DSC/3/2015/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	13.12.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी ने आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में दिनांक 04.09.2015 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया. अभ्यावेदन में अभ्यावेदक ने लिखा है कि उनकी नियुक्ति 1988 में कार्यक्रम पालक पद पर हुई थी. उसके उपरान्त 13 वर्ष तक उन्हें सहायक स्टेशन निदेशक के पद पर तदर्थ आधार पद पर पदोन्नत किया गया था तथा सहायक स्टेशन के पद पर सेवा को नियमित किये बिना ही उप निदेशक कार्यक्रम के पद पर तदर्थ आधार पर वर्ष 2014 में पदोन्नत कर दिया गया. उन्होंने बताया कि विगत 28 वर्षों में उन्हें एक भी नियमित पदोन्नति नही दी गई है. साथ ही विभागीय भर्ती एवं रोस्टर नियमों का विभाग में पालन नही किया जा रहा है.
2. अभ्यावेदक के मामले में माननीय अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ दिनांक 01.07.2016 को चर्चा की गई थी. जिसमे आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाई के अनुसरण में दिनांक 09.06.2017 को माननीय उपाध्यक्ष ने सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, तथा महानिदेशक, आकाशवाणी को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया. इस बैठक में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के पश्चात मामले में अभ्यावेदक ने आयोग में पुनः निवेदन किया जिसके आलोक में आयोग ने दिनांक 30.11.2017 को सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, तथा महानिदेशक, आकाशवाणी को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया. आयोग में चर्चा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी श्रीमती अंजू

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निगम, संयुक्त सचिव श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव तथा ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी श्री सत्यजीत मिश्रा, एडीजी (ए), श्री शैलेन्द्र कुमार, एडीजी उपस्थित हुए. इस दौरान सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण कर आयोग ने यह पाया कि विभागीय स्तर पर डीपीसी गठन में लापरवाही बरती गई है. साथ ही आयोग इस बात को गंभीरता से ले रहा है कि कई वर्षों से विभागीय पदोन्नति रोक कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है. इस सन्दर्भ में आयोग ने यह अनुशंसा की, कि विभाग और मंत्रालय अपने स्तर से शीघ्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उन तकनीकी मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें जिसके कारण यह मामला लंबित है. साथ ही रोस्टर की विसंगतियों को भी तत्काल दूर करने के लिए एक समिति का गठन करें और समिति द्वारा जांच/परीक्षण करा कर इसे ठीक किया जाय. आयोग ने इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभी अधिकारी को पुनः दिनांक 13.12.2017 को आयोग में उपस्थित होंने का सुझाव दिया.

3. आयोग में चर्चा के लिए श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय; श्री संजय कश्यप, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय; श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; श्री अशोक निगम, एडीजी, ऑल इंडिया रेडियो; श्री एन.पी. जोशी, निदेशक, ऑल इंडिया रेडियो उपस्थित हुए.
4. आयोग ने अभ्यावेदक श्री डी. एस. चौहान के मामले में आयोग की पूर्व की सेटिंग में की गई अनुशंसा के अनुपालन में हुई कार्यवाई की प्रगति जानाना चाहा. ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी एडीजी (ए), और एडीजी ने आयोग को अवगत कराया कि इस मामले में आयोग की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही जारी है और इसे यथाशीघ्र किया जा रहा है.
5. आयोग ने कई वर्षों से विभागीय पदोन्नति रोक कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय को गंभीरता से लिया है. इस सन्दर्भ में आयोग यह अनुशंसा करता है कि आकाशवाणी महानिदेशालय इसके लिए एक कमिटी का गठन करे और इस मामले का निपटारा दिसंबर 2017 तक करे. यदि अभ्यावेदक की कोई शिकायत हो तो वे कमिटी के समक्ष अपनी बात रखें. साथ ही आयोग कमिटी रिपोर्ट का अवलोकन करेगा तथा लाइजन अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जायेगी. इस सम्बन्ध में यदि लाइजन अधिकारी दोषी साबित होगा तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उस पर सम्बंधित कार्यवाई करेगा. साथ ही दोषी अधिकारी के ऊपर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत कार्यवाई की अनुशंसा भी आयोग करेगा.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DSC/3/2015/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री एस. के. राठो, संयुक्त सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

डी. ओ. पी. टी. के अधिकारी

1. श्री श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी

1. श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव
2. श्री संजय कश्यप, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय;

ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी

1. श्री अशोक निगम, एडीजी,
2. श्री एन.पी. जोशी, निदेशक,

अभ्यावेदक

1. श्री डी. एस. चौहान